

(रा.स्व. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136)

श्रीमान उपखण्ड अभिकारी महोदय
मिर्जागा मिला बालोतरा
(राजस्थान)

विषय :- राजस्व रेकॉर्ड में दुरुस्ती के सम्बन्ध में ।
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन हैं कि ग्राम भलेयें का बाड़ा की जमाबन्दी संवत् 2077-80 के खाता संख्या 213 में मेरा/हमारे नाम हकीम मोहम्मद पुत्र वली मोहम्मद दि. स्था - 1/3 जारी मुहल्लान सा. प्रजापत खालोतरा दर्ज हैं जो अशुद्ध हैं, जिनके स्थान पर मेरा / हमारे शुद्ध नाम हकीम खां पुत्र वली मोहम्मद दि. स्था - 1/3 जारी मुहल्लान सा. प्रजापत खालोतरा है।
अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करावें ।
दिनांक :-

नोट :- हकीम खां कौत होने से इनके पुत्र द्वारा आवेदन किया गया

मजीद
हस्ताक्षर प्रार्थी / प्रार्थीगण

रिपोर्ट पटवारी / भूअ. निरीक्षक
दौलत मुहल्लान प्रजापत हकीम मोहम्मद पुत्र वली मोहम्मद के
स्थान पर हकीम खां पुत्र वली मोहम्मद नाम शुद्ध किये जाने
की अनुमति दी जाती है।
16.10.25
म. म. म. म.
प. म. म. म. का बा

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

रिपोर्ट पटवारी एवं भूअभिलेख निरीक्षक अनुसार उपवर्णित दुरुस्ती किया जाना उचित है ।

तहसीलदार समदडी

GCMS - 2025/613

आदेश

दिनांक 10/10/25

क्रमांक 1/11.शे.श्री. / 1002

रिपोर्ट तहसीलदार समदडी अनुसार ग्राम मालेरौज बाड़ा की जमाबन्दी संवत् 2077-80 के खाता संख्या 213 में हकीम मोहम्मद पुत्र वली मोहम्मद के बजाय सम्मान सूचक इन्द्राज

हकीम खां पुत्र वली मोहम्मद

की जाती है तदनुसार मालेरौज बाड़ा में इन्द्राज द्वारा की कार्यवाही की जावे ।



कारन की प्रतीति प्रदान
उपखण्ड अभिकारी
मिर्जागा, बालोतरा